न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/19 निर्णय दिनांकः– 30–12–2019

1. जुगलकिशोर पुत्र रतनलाल जाति ब्राहमण निवासी रताणी व्यासों का चौक, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24–02–1993 को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 07–08–1996 को अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश जैर अपील पारित करें।

तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 28–08–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 28–08–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 07–08–1996 के माध्यम से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 05–04–1999 को पत्रावली पेशी पर लेते हुए अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16–04–1999 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06–05–1999 अंकित की गई तथा उक्त दिनांक को अपीलांट की अनुपस्थिति बताकर अपीलांट का आवंटन पुनः खारिज कर दिया गया। जबकि नियमानुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के एक माह उपरान्त ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना व उक्त नोटिस की समुचित तामीली की जानकारी लिये बिना, आनन–फानन में बिना दिनांक का आदेश पारित करते हुए अपीलांट की पत्रावली सबूतों के अभाव में खारिज कर दी गई।

जबकि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबत का अवसर प्रदान किये बिना मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक

न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक शून्य निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–02–2019 को प्रस्तुत होकर अपना मत व्यक्त करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.07 17:56:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: